विनिषिद्ध Contraband

विनिषिद्ध शब्द अंग्रेजी शब्द Contraband का हिन्दी अनुवाद है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों Contra + bandum (कोण्ट्रा + बैण्डम) के योग से बना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ है विधि विरुद्ध। अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में युद्धकाल में युद्धरत राज्यों को लाभ पहुँचाने वाली निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार वर्जित है। तटस्थ राज्य द्वारा निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार विधि विरुद्ध घोषित किया जाता है तथा युद्धरत राज्यों को उस सामग्री को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तटस्थ राज्य एवं शत्रु राज्य के व्यापार से संबंधित अनेक नियम कानून बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय एवं अं० कानून के द्वारा कुछ वस्तुओं के व्यापार पर रोक लगा दी जाती है। ऐसी वस्तुओं को 'विनिषिद्ध' की संज्ञा दी जाती है तथा रोक लगाने के लिए निर्मित नियम 'विनिषिद्ध का नियम' कहलाता है।

परिभाषा

प्रो० श्वार्जनबर्गर के शब्दों में, "विस्तृत अर्थों में विनिषिद्ध उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका शत्रु देश को पहुँचना या शत्रु देश से ले जाना युद्धरत देश ने वर्जित कर दिया है।"

स्टार्क के मतानुसार, "विनिषिद्ध वस्तुएँ वह होती हैं जिनका परिवहन युद्धमान पक्षों द्वारा आपत्तिजनक माना जाता है क्योंकि इनसे शत्रु युद्ध के संचालन में सहायता ले सकता है।"

Scanned with CamScanner

केल्सन के शब्दों में, "युद्ध में विनिषिद्ध वस्तुएँ वह होती हैं जिनका परिवहन सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार युद्धमान राज्यों द्वारा निषिद्ध माना जाता है।"

जैरसन के अनुसार, "विनिषिद्ध वह सम्पत्ति है जो शत्रु के क्षेत्र को जा रही है और उसे सहायता दे सकती है।"

विनिषिद्ध अवधारणा का विकास

विनिषिद्ध अवधारणा का विकास धीरे-धीरे हुआ। 13 वी शताब्दी में कुछ राज्यों ने अपनी घोषणाओं द्वारा शत्रु राज्य के समस्त व्यापार को बंद करने का प्रयास किया। 16 वी और 17 वी शताब्दी में तटस्थ देशों ने इसका विरोध करते हुए अपनी व्यवहारिक स्वतंत्रता बनाए रखने पर बल दिया। जेस्सप के अनुसार, 20 वी शताब्दी में विनिषिद्ध सामग्री के कानून से संबंधित तीन बाते आवश्यक मानी गई -

i) शत्रु देश को भेजी जाने वाली कुछ निश्चित सामग्री को युद्धरत पक्षों द्वारा जब्त करने का अधिकार

ii) तटस्थ देशों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वे विनिषिद्ध सामग्री की ढुलाई अपने जहाजों में करे।

iii) तटस्थ देशों के नागरिकों को विनिषिद्ध वस्तुएँ शत्रु देश तक पहुँचाते समय इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि युद्धकारी पक्ष इस माल को जब्त कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner

विनिषिद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण
ग्रोशियस ने विनिषिद्ध वस्तुओं को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, किन्तु यह प्रश्न लन्दन घोषणा तक विवाद का विषय बना रहा कि किन वस्तुओं को शत्रु के लिए सैनिक दृष्टि से उपयोगी माना जाए और युद्धमान राज्य द्वारा उन पर नियंत्रण लगाया जाए। हथियार और रण सामग्री निश्चित ही ऐसी वस्तुएँ होती हैं। ग्रोशियस का मत था कि ऐसी वस्तुएँ शत्रु को भेजने वाला तटस्थ राज्य भी शत्रु का पक्षपाती बन जाता है। दूसरी ओर ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनका युद्ध में कोई उपयोग नहीं होता, इसलिए युद्धमान राज्य इनकी कोई शिकायत नहीं करता। कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो युद्ध और शांति दोनों समय समान रूप से उपयोगी सिद्ध होती है। इस प्रकार की वस्तुओं को युद्ध की परिस्थितियों के अनुसार युद्धमान राज्यों द्वारा पकड़ा जा सकता है। ग्रोशियस ने इसी दृष्टिकोण से वस्तुओं को तीन वर्गों में विभक्त किया:-

1. वे वस्तुएँ जो युद्ध के लिए उपयोगी हैं।
2. वे वस्तुएँ जो युद्ध की दृष्टि से निरर्थक हैं।
3. वे वस्तुएँ जो युद्ध और शांति दोनों समय समान रूप से उपयोगी होती हैं।

प्रथम वर्ग की वस्तुओं का व्यापार हमेशा विनिषिद्ध रहता है दूसरे वर्ग की वस्तुओं का व्यापार कभी विनिषिद्ध नहीं रहता और तीसरे वर्ग की वस्तुओं का व्यापार परिस्थितियों को देखकर निषिद्ध होता है।
16 वीं तथा 17 वीं शताब्दी में विभिन्न

Scanned with CamScanner

देशों द्वारा विनिषिद्ध वस्तुओं के निर्धारण के लिए अनेक संधियाँ की गई। युद्धकाल में विभिन्न राज्य परिस्थितियों के अनुसार इन वस्तुओं के वर्गीकरण में भेद करते रहे हैं। सन् 1856 की पेरिस घोषणा में विनिषिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया था, किन्तु इसकी व्याख्या नहीं की गई।

लन्दन घोषणा में वर्गीकरण

सन् 1909 की लन्दन घोषणा में विनिषिद्ध पदार्थों का विस्तार के साथ गिनाया गया। इसमें विभिन्न वस्तुओं को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया गया :-

1. पूर्णत: विनिषिद्ध (Absolute Contraband).- इस सूची में वे वस्तुएँ रखी गई जिन्हें विशेषत: युद्ध के लिए काम में लिया जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक प्रकार के शस्त्र, उनका उत्पादन करने वाले यंत्र, प्रक्षेप, बारूद एवं अन्य विस्फोटक पदार्थ, तोपों से फेंकी जाने वाली वस्तुएँ, कारतूस, तोप चढ़ाने के यंत्र, इनको खींचने वाली गाड़ियाँ, सैनिकों के कपड़े, कवच, जहाजों की रक्षा के लिए धातु की चादरें, नावें, रणपोतों के कल-पुर्जे आदि। ये सभी वस्तुएँ शत्रु को सैनिक दृष्टि से लाभ प्रदान करती हैं। इन सभी वस्तुओं को पूर्णरूप से विनिषिद्ध माना गया है।

2- सापेक्ष विनिषिद्ध (Conditional Contraband)- इस सूची में वे वस्तुएँ आती हैं जिनको युद्ध और शांति दोनों प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त

Scanned with CamScanner

किया जा सकता है। उपहारणार्थ - खाद्य पदार्थ, कपड़ा, सोना, चांदी, नावें, रेलवे का समान, जलाने की लकड़ी आदि। इस प्रकार की वस्तुओं को यदि युद्धमान राज्य को सैनिक उपयोग के लिए ले जाया जा रहा है अथवा ये वस्तुएं शत्रु देश को ले जाने वाले जहाज में लदी हुई हैं और तटस्थ राज्य में इनको उतारा जाना है तो युद्धमान राज्य द्वारा उन्हें अधिग्रहीत किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं की प्रकृति अवस्था के अनुसार बदलती रहती है।

वर्तमान समय में विनिषिद्ध को पूर्ण और सापेक्ष नामक दो वर्गों में विभक्त करना कठिन है। वर्तमान में इसका कोई क्रियात्मक उपयोग नहीं रहा। इस समय पूर्णरूप से विनिषिद्ध वस्तुओं का क्षेत्र बढ़ रहा है और सापेक्ष रूप से विनिषिद्ध का क्षेत्र संकुचित हो रहा है। युद्ध की नवीन परिस्थितियों के अतिरिक्त वैज्ञानिक आविष्कार भी इस प्रवृति में सहायक है।

सितम्बर 1965 में भारत- पाक संघर्ष में पाकिस्तान ने विनिषिद्ध वस्तुओं की सूची का अत्यधिक विस्तार करते हुए इसमें चाय तथा जूट जैसे पदार्थों को भी सम्मिलित कर दिया था। इस समय उसने रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के छोटे जहाजों द्वारा कलकत्ता लाई जाने वाली तथा वहाँ से विदेशों को भेजी जाने वाली चाय को विनिषिद्ध घोषित करते हुए इसको इसे जब्त करके बेचने की आज्ञा दी थी।

प्रथम विश्वयुद्ध से पहले मोटर गाड़ियों

Scanned with CamScanner

और ट्रकों का आविष्कार न होने से सैनिक परिवहन तथा ढुलाई के कार्य भारवाही पशुओं, घोड़ों, खच्चरों द्वारा होता था। घुड़सवार सेना तथा तोपखाने के लिए इनका असाधारण महत्व था। अत: इन्हें कई बार पूर्णरूप से विनिषिद्ध समझा जाता था। रूस-जापान युद्ध में रूस ने भारवाही पशुओं के संबंध में ऐसी व्यवस्था की थी।

समुद्र में युद्ध करने के लिए ईंधन के रूप में कोयला तथा पेट्रोल असाधारण महत्व रखते हैं, 1854 से ब्रिटेन युद्धकारी देशों के रणपोतों तथा नौ-सैनिक बंदरगाहों के लिए भेजे जाने वाले कोयले को विनिषिद्ध समझता रहा है। रूस ने 1904 में कोयले, अल्कोहल आदि प्रत्येक प्रकार के ईंधन को पूर्ण विनिषिद्ध घोषित किया, जर्मनी ने कोयले, कोक तथा खनिज तेलों को पूर्णरूप से तथा अन्य ईंधनों को सापेक्षरूप से विनिषिद्ध माना।

प्रथम विश्वयुद्ध के आरंभ में मित्र राष्ट्रों ने सोना, चांदी तथा पत्रमुद्रा को सापेक्षरूप से विनिषिद्ध घोषित किया किन्तु 1916 में उन्होंने इन वस्तुओं को पूर्ण विनिषिद्ध बना दिया।

सन् 1861 में अमरीकी गृहयुद्ध के समय संयुक्त राज्य अमरीका ने रुई को पूर्ण विनिषिद्ध घोषित किया क्योंकि दक्षिणी राज्य दूसरे देशों से खरीदे जाने वाले हथियारों, गोलाबारूद और जहाजों का दाम चुकाने के लिए मुद्रा के स्थान पर रुई भेज रहे थे। प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर

Scanned with CamScanner

मित्र राष्ट्रों ने इसे निषिद्ध घोषित नहीं किया किन्तु जब नए वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण विस्फोटक द्रव्यों के निर्माण में इसका उपयोग होने लगा तब इसके पूर्ण निषिद्ध होने की घोषणा की गई।

3. अनिषिद्ध अथवा स्वतंत्र सूची (Non Contraband or Free List) – इस सूची में ऐसी वस्तुओं को रखा गया जो युद्ध के उपयोग में न आने के कारण कभी निषिद्ध घोषित नहीं की जा सकती। लन्दन की घोषणा के अनुच्छेद 28 के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं को पूर्णरूप से निःशुल्क या अनिषिद्ध माना गया है :-

1. रुई, रेशम, ऊन इत्यादि कपड़ा बनाने का कच्चा माल
2. तिलहन
3. रबर, गोंद, लाह, विरोजा
4. कच्चा चमड़ा, सींग, हड्डी और हाथी दाँत
5. हर प्रकार की प्राकृतिक और कृत्रिम खाद
6. खान से निकली हुई बिना साफ की हुई धातु
7. मिट्टी, चमारखोरी, पत्थर, संगमरमर, ईंट, स्लेट
8. चीनी की बनी चीजें और कांच
9. कागज और कागज बनाने की सामग्री
10. साबुन, रंग, वार्निश और उनको बनाने की सामग्री
11. रंग उड़ाने की दवा, सोडा, क्षार, कास्टिक सोडा, अमोनिया इत्यादि।
12. कृषि, खनिज, मुद्रण और (कपड़ा बनाने के यंत्र
13. रत्न, उपरत्न, मोती, सीप और मूंगा।
14. क्रोनोमीटर के अतिरिक्त अन्य प्रकार की घड़ियाँ
15. फैशन और शौकीनी की सामग्री
16. फैशन फर, बाल और रोएँ
17. घर और दफ्तर की सजावट का सामान

Scanned with CamScanner

APPOINTMENTS

विनिषिद्ध अपराध (Guilt of Contraband)

लॉरेन्स के अनुसार, विनिषिद्ध संबंधी अपराध के तीन आवश्यक तत्व हैं :-

1. ऐसी वस्तुओं की ढुलाई या परिवहन है न कि इनका व्यापार और बिक्री। तटस्थ देशों के व्यापारियों को अपने देश में शत्रु देश के प्रतिनिधियों को हथियार तथा गोला-बारूद बेचने का पूरा अधिकार है, किन्तु जब वे इस सामग्री का निर्यात किसी युद्धकारी पक्ष को करते हैं, तभी दूसरे पक्ष को शत्रु को भेजे जाने वाले इस माल को पकड़ने का अधिकार है।
2. दूसरा आवश्यक तत्व विरोधी गम्य-स्थान है, यदि माल शत्रु देश के किसी व्यक्ति को या बंदरगाह को भेजा जा रहा है तो इसे विरोधी गम्य- स्थान की ओर ले जाने वाला कहा जाता है।
3. तीसरा तत्व किसी युद्धकारी पक्ष को वह सामग्री पहुँचाने के उद्देश्य से इसे जहाज पर लादकर यात्रा के लिए प्रादेशिक समुद्र से बाहर निकल जाना है। लॉर्ड स्टोवेल ने Immina के मामले में कहा था कि वस्तुओं को अपराधावस्था में अर्थात् शत्रु के बंदरगाह की ओर जाते हुए पकड़ा जाना चाहिए।

विनिषिद्ध की दण्ड व्यवस्था (Penalty for Carrying Contraband)

विनिषिद्ध वस्तुओं के यातायात के विषय में ब्रिटेन और अमरीका की यह नीति रही है कि उसे जब्त कर लिया जाता था। यदि जहाज व सामान का मालिक एक ही है तो जहाज को

Scanned with CamScanner

भी जब्त कर लिया जाता था। यदि जहाज के मालिक को इस बात का ज्ञान होता था कि जहाज विनिषिद्ध सामान के यातायात में लगा हुआ है तो भी उसे जब्त कर लिया जाता था। लन्दन की घोषणा में एक रियायती नियम रखा गया था कि यदि जहाज पर लदे समान का आधे से अधिक भाग विनिषिद्ध समान का होता था तो जहाज को जब्त कर लिया जाता था। पकड़े गए माल और जहाजों को विचार के लिए अधिग्रहण न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि यह माल को विनिषिद्ध ठहराता है तो इसे जब्त कर लिया जाता है अर्थात जब प्राइज न्यायालय अपना निर्णय दे देता है कि विनिषिद्ध वस्तुओं को ~~वैध~~ वैध रूप से पकड़ा गया है अथवा वह वैध ~~अर्थ~~ जयलाभ है, तभी उस पर पकड़ने वाले देश का स्वामित्व हो सकता है। यदि यह जहाज को निर्दोष समझकर मुक्त करता है तो इसे वे सब व्यय देने पड़ते हैं, जो इस अभियोग के चलाने में तथा अभियोग के समय में रखने ~~मैं~~ में किए गए हैं।

इस विषय में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि विनिषिद्ध वस्तुओं को पकड़ने वाला देश केवल अपने प्रदेश में अथवा खुले समुद्र में पकड़ सकता है। विनिषिद्ध वस्तुओं को तटस्थ देश की सामूहिक पेटी में पकड़ना तटस्थता का उल्लंघन है।

विरोधी गम्य - स्थान (Hostile Destination)

विनिषिद्ध की मुख्य कसौटी यह है कि यह माल कहाँ और किसके उपयोग के लिए भेजा जा रहा है, इसका गम्य स्थान या लक्ष्य क्या है? यदि

APPOINTMENTS

वह शत्रु देश के किसी व्यक्ति को या बंदरगाह को भेजा जा रहा है तो इसे विरोधी गम्य-स्थान की ओर जाने वाला कहा जाता है। यदि तटस्थ देश को जाने वाले माल का भी अंतिम लक्ष्य विरोधी शत्रु देश हो तो इसे विनिषिद्ध माना जाता है। लंदन घोषणा के अनुसार निम्न अवस्थाओं में विरोधी गम्य - स्थान समझा जाता है :-

(i) जब माल शत्रु के किसी बंदरगाह को या शत्रु की सशस्त्र सेनाओं को भेजा जाए।

(ii) जब जहाज को केवल शत्रु के बंदरगाहों पर जाना हो तो तटस्थ देश के बंदरगाह पर माल ले जाने से पहले रास्ते में शत्रु के बंदरगाहों पर रुकना हो या शत्रु की सेनाओं से मिलना हो।

अधिग्रहण न्यायालय (Prize Courts) - शत्रु अथवा तटस्थ राज्य के व्यापारी जहाजों को युद्धमान राज्य द्वारा पकड़ने की वैधता का निर्णय और उनको जब्त करने का दायित्व युद्धमान राज्य के अधिग्रहण न्यायालयों को प्राप्त होता है। ये न्यायालय घरेलू न्यायाधिकरण (Domestic Tribunals) होते हैं जो राष्ट्रीय व्यवस्थापन के प्रावधानों के अनुरूप संगठित होते हैं तथा कार्य संपन्न करते हैं। यद्यपि अधिग्रहण न्यायालयों की सत्ता एवं क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय कानून से ग्रहण किया जाता है, किन्तु अपने सम्मुख आने वाले विवादों पर वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को लागू करते हैं। इन न्यायालयों के निर्णयों को निर्देशित करने के लिए प्रायः राष्ट्रीय व्यवस्थापन द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है।

Scanned with CamScanner

1907 के हेग सम्मेलन में स्वीकृत अभिसमय (XII) के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई यह अभिसमय तत्सम्बन्धी समस्या के रचनात्मक समाधान के रूप में पर्याप्त विचार-विमर्श का कारण बना। इस पर सभी शक्तियों के हस्ताक्षर नहीं हो सके और अनुसमर्थन किसी शक्ति का नहीं मिल सका। इसमें यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय न्यायालय अधिग्रहण के मामलों पर मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें और तटस्थ राज्यों की सम्पति से संबंधित सभी मामलों में अपील की व्यवस्था की जाए। न्यायालय द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले कानून अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम होने चाहिए। यदि इस संबंध में कोई सामान्यत: स्वीकृत नियम नहीं है तो न्यायालय को न्याय एवं सद्गुण के सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय देना चाहिए। न्यायालय द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले (किए जाने वाले)* कानून से संबंधित अनिश्चितता के कारण लन्दन नौसैनिक सम्मेलन बुलाया गया और समुद्री युद्ध की निश्चित संहिता का निर्माण करने के लिए लन्दन घोषणा की गई।

न्यायालय के संगठन के संबंध में छोटे राज्यों का दावा था कि उन्हें समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरी ओर सभी राज्यों को न्यायपालिकाओं में प्रतिनिधित्व देना व्यवहारिक दृष्टि से असम्भव था। फलत: दोनों के बीच समझौता करके न्यायालय की रचना की गई। प्रत्येक राज्य द्वारा न्यायाधीश

Scanned with CamScanner

और उप-न्यायाधिश की नियुक्ति की जाती थी और इनमें से 15 न्यायाधिशों का एक अलग न्यायालय बनाया गया था। इनमें से 8 उन बड़ी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे जो स्थाई शक्ति थे, शेष सात सदस्य अस्थाई और क्रमिक रुप से नियुक्त किए जाने वाले होते थे। इस प्रकार, न्यायपालिका की रचना में राज्यों की समानता के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। अत: ब्राजील आदि अनेक राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और दूसरे कई राज्यों ने इसे शर्तों के साथ स्वीकार किया।

अविच्छिन्न / निरंतर समुद्री यात्रा का सिद्धांत

Doctrine of Continuous Voyage

तटस्थ राज्यों के जहाज विनिषिद्ध वस्तुओं का परिवहन करते हुए भी पकड़े न जाने के लिए छलपूर्ण नीति अपनाते हैं। वे अपनी यात्रा दो भागों में विभाजित कर देते हैं - ऊपरी दिखावे के लिए वे अपना गन्तव्य स्थान शत्रु का निकटवर्ती कोई तटस्थ बंदरगाह बताते हैं, उनके कागजातों में भी इसी का उल्लेख रहता है। आवश्यक होने पर इसके लिए वे लंगर भी देते हैं और बंदरगाह पर माल उतार लेते हैं। उसके बाद जहाज पर माल को पुन: लादकर अपने सही गन्तव्य शत्रु के बंदरगाह की ओर चल देते हैं।

इस प्रकार तटस्थ देश अपनी यात्रा को दो भागों में विभाजित करके शत्रु को प्रच्छन्न रुप से माल पहुँचा देते थे। इसी कारण निरंतर

Scanned with CamScanner

समुद्री यात्रा के सिद्धांत का उद्भव हुआ। अविच्छिन्न समुद्री यात्रा के सिद्धांत के अनुसार शत्रु को माल पहुँचाने के लिए दो भागों में विभक्त समुद्री यात्रा एक ही निरंतर यात्रा मानी जाएगी। पिट काबेट के अनुसार, "इसमें वह साहसिक कार्य निहित है जिसमें माल प्रारंभ में किसी तटस्थ बंदरगाह की ओर तथा वहाँ से आगे किसी शत्रु को ले जाया जाता है। यह कुछ दृष्टियों से केवल एक ही परिवहन करता है।" स्टार्क के अनुसार, "यह एक ऐसा साहसिक कार्य है जिसमें माल का परिवहन पहले तो एक तटस्थ बंदरगाह तक और फिर वहाँ से किसी दूरवर्ती गन्तव्य स्थान तक किया जाता है। यह सिद्धांत इन यात्राओं को शत्रु के गन्तव्य स्थान पर ही परिवहन मानता है और उसे वे सब परिणाम भोगने पड़ते हैं जो तटस्थ बंदरगाह के बीच में न होने पर भोगने पड़ते।" दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब एक जहाज तटस्थ बंदरगाह की ओर जा रहा होता है तो यह सोचा जाता है कि सम्भवतः यह जहाज शत्रु देश को ही जा रहा होगा। यदि इस पर विनिषिद्ध वस्तुएँ लदी हुई हैं तो जहाज और माल को वैसे ही पकड़ लिया जाता है जिस प्रकार शत्रु को विनिषिद्ध वस्तुएँ पहुँचाने वाले जहाज को पकड़ा जाता है।

लगातार परिवहन का सिद्धांत (Continous Transport Theory)

जब तटस्थ बंदरगाहों में रुकने के बाद वही जहाज शत्रु को विनिषिद्ध सामग्री पहुँचाता है तो

Scanned with CamScanner

APPOINTMENTS

उस यात्रा को अविच्छिन्न यात्रा कहते हैं। यदि वह माल तटस्थ बंदरगाह पर उतारकर दूसरी नौकाओं या जहाजों द्वारा शत्रु राज्य तक पहुँचाया जाए तो लगातार परिवहन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का जन्म 18वी शताब्दी के अंत में होने वाले आंग्ल-फ्रांसीसी युद्धों में हुआ है। ब्रिटिश अधिग्रहण न्यायालयों ने अनेक मामलों में औपनिवेशिक बन्दरगाह से तटस्थ बंदरगाह तक और वहाँ से शत्रु के बंदरगाह तक एक ही अविच्छिन्न यात्रा मानी है और ऐसे जहाजों पर लदे हुए माल को जब्त करने की आज्ञा प्रदान की है। लार्ड स्टोवेल ने मेरिया जहाज के वाद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लॉर्ड स्टोवेल ने कहा था कि "स्वाभाविक रूप से निश्चित सिद्धांत है कि यदि कोई जहाज केवल किसी बंदरगाह पर कुछ समय के लिए रुकता है और उस देश के सामान्य माल में अपने माल के आयात द्वारा वृद्धि नहीं करता तो इससे उसकी यात्रा में कोई अंतर नहीं आएगा। सभी दृष्टियों से इसे उस देश की अंतिम बंदरगाह तक की अविच्छिन्न यात्रा करने वाला समझा जाना चाहिए, जहाँ वह अपना माल पहुँचाने के प्रयोजन से जा रहा है।"

सिद्धांत की उपयोगिता (Utility of the Theory)

1. निरंतर यात्रा का सिद्धांत अधिग्रहण न्यायालयों के हाथों में तटस्थ व्यापारियों द्वारा युद्ध के निषेधों को बचाने के लिए प्रयत्नों को विफल करने का साधन है।

Scanned with CamScanner

2. यात्राओं में निरंतर रहने के कारण विनिषिद्ध और शत्रुओं से व्यापार आदि दृष्टि से परिवेक्षण अतटस्थ सेवा उपयोगी रहती है।

3. निरंतर यात्रा का परीक्षण प्रायः तब होता है जब यह माना जाए कि अधिग्रहण करने वाली शक्ति का कोई प्रजाजन शत्रु से व्यापार कर रहा है अथवा कोई तटस्थ राज्य विनिषिद्ध वस्तुओं को शत्रु के पास भेज रहा है।

4. इस सिद्धांत ने यह सम्भव बनाया कि यात्रा के किसी भी स्तर पर माल पकड़ा जा सकता है।

इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यदि छल से शत्रु देश को तटस्थ राज्यों द्वारा माल भेजा जाता है तो उसे उस सिद्धांत के फलस्वरूप पकड़ा जा सकता है। इससे विनिषिद्ध का सिद्धांत सबल हुआ।

महत्वपूर्ण मामले

इस सिद्धांत से संबंधित अनेक मामले निम्नलिखित है :-

1. मेरिया विवाद - इस विवाद में लॉर्ड स्टोवेल ने निरंतर समुद्री यात्रा के सिद्धांत को स्पष्ट किया और बताया कि केवल किसी बंदरगाह को स्पर्श कर लेना ही समुद्री यात्रा की प्रकृति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह प्रत्येक दृष्टि से वहाँ तक मानी जाएगी जहाँ का लक्ष्य लेकर जहाज चला है।

2. पौली विवाद - इस विवाद में न्यायाधीश का मत था कि यदि कोई अमरीकी व्यक्ति ऐसे व्यापार के लिए सीधे रूप से अनुमति प्राप्त

Scanned with CamScanner

नहीं कर सकता तो उसे चक्करदार तरीके से भी प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात तटस्थ राज्य के जहाज शत्रु देश के लिए विनिषिद्ध माल पहुँचाने के लिए कोई धोखा या छल काम में नहीं ले सकते।

3) बारमूडा का विवाद - सन् 1865 में बारमूडा नामक जहाज इंग्लैण्ड से नासो की यात्रा करते हुए पकड़ा गया। इस मामले में न्यायालय ने कहा, जहाज के विद्रोही बंदरगाह तक पहुँचने का गन्तव्य-स्थान प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है, किन्तु इससे इस विषय में कोई अंतर नहीं पड़ता। गन्तव्य-स्थान के प्रश्न पर इस बात का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इस माल को नासो में उतारा जा रहा है, बशर्ते वहाँ से इसे पुनः लादा जाना हो। यह इस माल के परिवहन की निरंतरता को भंग नहीं कर सकता। तटस्थ देश से रवानगी और युद्धकारी देश के गन्तव्य-स्थान के बीच में एक तटस्थ बंदरगाह को डालना, विनिषिद्ध सामग्री ले जाने वालों तथा परिवेष्टन तोड़ने वालों का प्रिय उपाय रहा है किन्तु जब उनके अंतिम गन्तव्य स्थान का निश्चय हो जाए तो इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता,

4) पीटर हॉफ - अमरीकी गृहयुद्ध के समय पीटर हॉफ नामक ब्रिटिश जहाज तटस्थ राज्य मैक्सिको के एक बंदरगाह मैटामोरस की यात्रा कर रहा था। यह बंदरगाह दक्षिण

अमरीका के राज्यों की सीमा के निकट था। जहाज पर युद्धोपयोगी सामान लदा हुआ था। ऐसी स्थिति में तटस्थ बंदरगाह को जाते हुए भी यह जहाज पकड़ लिया गया और इसके युद्धोपयोगी सामान को जब्त कर लिया गया।

5) स्प्रिंगबोक - स्प्रिंगबोक नामक ब्रिटिश जहाज 1868 में बहामा टापुओं में नासौ के तटस्थ बंदरगाह को सामान ले जाता हुआ पकड़ा गया। सं० रा० अमरीका के अधिग्रहण न्यायालय ने इसे इस आधार पर दण्डित किया कि इसमें लदे हुए माल से यह प्रतीत होता है कि इस माल के मालिक का यह इरादा था कि नासौ में इसे उतारकर इसे छोटे जहाज में लाद दिया जाए जो इस बड़े जहाज की अपेक्षा अधिक सुरक्षा के साथ-साथ माल को परिवेष्टित बंदरगाह में पहुँचा सके।

6) किम विवाद - सन् 1914 में न्यूयार्क से कोपेनहेगन जाते हुए नार्वे तथा स्वीडन के किम तथा कुछ अन्य जहाजों को पकड़ लिया। किम पर ग्वाले और रबड़ लदा हुआ था। अपने निर्णय में न्यायाधीश इवान्स ने कहा कि, "समुद्री एवं स्थानीय मार्ग द्वारा ढुलाई के विषय में अविच्छिन्न यात्रा या परिवहन का सिद्धांत वर्तमान युद्ध आरंभ होते ही राष्ट्रों के कानून का अंग बन चुका है। यह आधुनिक जलयुद्ध में राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण के अनुरूप है।"

Scanned with CamScanner

APPOINTMENTS

1756 का युद्ध नियम

इस नियम के अनुसार ब्रिटेन ने तटस्थ राज्यों को किसी मातृदेश और उसके उपनिवेशों के बीच कोई व्यापारिक परिवहन करने से रोका। इस नियम के अनुसार शांतिकाल में उपनिवेश तथा उसके संस्थापक मातृदेश में व्यापार का एकमात्र अधिकार मातृदेश के जहाजों को होता है। अत: युद्ध के समय कोई तटस्थ देश किसी मातृदेश और उसके उपनिवेशों के बीच कोई व्यापारिक परिवहन नहीं कर सकता। इस सिद्धांत की उत्पत्ति इंग्लैण्ड और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध (1756-63) के समय हुई।

Scanned with CamScanner